भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3843**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओडिशा में विशेष आर्थिक क्षेत्र

3843. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा के गंजम में गोपालपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर औद्योगिक भूमि के उपयोग और चालू इकाइयों की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या घरेलू स्तर पर उच्च तकनीक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र के भीतर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण पार्क या दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक के प्रसंस्करण के लिए एक सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव या व्यवहार्यता अध्ययन विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस रणनीतिक तटीय गलियारे में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेश को आकर्षित करने के लिए वर्तमान में दिए जा रहे वित्तीय प्रोत्साहनों और केंद्रीय निर्यात सुगमता ढांचे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) ओडिशा के गंजाम में दो विशेष आर्थिक क्षेत्र परिचालन में हैं। इनमें परिचालन संबंधी इकाइयों की संख्या और अन्य विवरण इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	उपयोग की गई भूमि (हेक्टेयर में)	परिचालन संबंधी इकाईयों की संख्या
1	गोपालपुर, गंजम जिला, ओडिशा में टाटा एसईजेड	305.9163	166.7	2
2	छत्रपुर, गंजम जिला, ओडिशा में सराफ एजेंसियां प्राइवेट लिमिटेड	105.1953	29.95	1

(ख) एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 के तहत स्थापित एसईजेड मुख्य रूप से निजी- निवेश संचालित पहल हैं। किसी एसईजेड की स्थापना केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा वस्तुओं के विनिर्माण या सेवाएं प्रदान करने अथवा दोनों के लिए या एक मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र के रूप में संयुक्त रूप से या अलग-अलग की जा सकती है। केंद्र सरकार ने एसईजेड अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद से कोई भी एसईजेड स्थापित नहीं किया है। एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत गठित अनुमोदन बोर्ड केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार करता है जिन्हें संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुशंसित किया गया हो। जहां भी आवश्यक हो, व्यवहार्यता अध्ययन, संबंधित उद्यमी या संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस विभाग के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले किया जाता है। उपरोक्त दोनों एसईजेड में से किसी में भी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण पार्क या दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबकों के प्रसंस्करण के लिए एक सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव या व्यवहार्यता अध्ययन इस विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(ग) किसी एसईजेड डेवलपर्स और इकाइयों को निवेश आकर्षित करने और व्यापार एवं निर्यात को सुगम बनाने के लिए वित्तीय एवं गैर- वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। एसईजेड को दी जाने वाली वित्तीय रियायतें और शुल्क लाभ एसईजेड अधिनियम, 2005 में निर्धारित हैं। विशेष रूप से, एसईजेड अधिनियम की धारा 26(1)(क) के तहत, डेवलपर या उद्यमी द्वारा अधिकृत संचालन करने हेतु एसईजेड या इकाई में आयातित वस्तुओं या प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत किसी भी सीमा शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है। इसके अलावा, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत अधिकृत संचालन के लिए एसईजेड डेवलपर या इकाइयों द्वारा आयातित वस्तुओं को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान से छूट प्राप्त है। निर्यात सुगम बनाने के लिए एसईजेड इकाइयों और डेवलपर्स को दिए जाने वाले कुछ गैर- वित्तीय प्रोत्साहनों में केंद्रीय और राज्य स्तरीय स्वीकृतियों के लिए एकल विंडो क्लीयरेंस और त्वरित क्लीयरेंस के लिए एक समर्पित सीमा शुल्क विंग शामिल हैं।
